फर्द अहकाम

सुरेश कुमार बनाम बोहराम वगै०

न्यायालय :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा - जयपुर

प्रा० पत्र संख्या :- 93/2024 प्रकरण T.I. 212 R.T.A.

29/8/24 :- पक्षीगण प्रार्थी एवं प्रार्थी के स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र बाबत T.I. विड्रो किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अवमानी प्रकरण में आगामी पेशी 20/9/24 नियत है। उक्त प्रकरण को प्रार्थी लोक अदालत की मार्फत से विड्रो करना चाहता है। एवं भविष्य में परिस्थितियां बदलने की सूरत में पुनः T.I. जारी करने की अनुमति के साथ प्रार्थना T.I. विड्रो करने की अनुमति दिया आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः पत्रावली पुनः नेचर पर लिये जाने की अनुमति के साथ विड्रो कर खारिज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

सुरेश

सुना गया। रिकार्ड तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी स्वयं प्रकरण को विड्रो करना चाहता है एवं सहमति बाबत औपचारिक पत्र सहायक भी दिये है। अतः लोक अदालत की मार्फत से परिस्थितियां भविष्य में बदलने की सूरत में पुनः प्रार्थना अस्थाई रिकार्ड पेश करने की अनुमति के साथ प्रस्तुत प्रार्थना बाबत T.I. विड्रो स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रार्थना स्वीकार होने से उक्त पत्रावली प्रार्थना-पत्र अस्थाई रिकार्ड धारा खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर में दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner